FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर, बीकानेर मुकाम बीकानेर

पंजाब नेशनल बैंक शाखा– यू.आई.टी. शाखा, बीकानेर जरिये अधिकृत अधिकारी

: ब ना म :

गोपाल बोराना पुत्र कालूराम बोराना, सी. 218, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, पानी की टंकी के पास, बीकानेर आदि

किस्म मुकदमा विविध (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) मु.सं. 01/20

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
~~12.20~~ 1-1-21	प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता उपस्थित जिनके द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया व प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता को सुना गया। हम इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थी/ऋणी को सुनना उचित समझते है। इस संबंध में प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता को कोई आपति नहीं। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी कम्पनी दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु कम्पनी के अधिवक्ता को दिये जावे। उन्हें यह भी हिदायत की जाती है कि नोटिस के साथ प्रार्थना–पत्र की प्रति भी संलग्न करें एवं दस्तावेजात को प्रमाणित करावें। प्रकरण आयन्दा तिथि **25.01.21** को पेश हो। जिला कलक्टर, बीकानेर 6-1-21 पत्रावली आज बेंच में लगी। मुख्य प्रबंधक, प्रार्थी बैंक एवं अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी के उपस्थित होकर निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक की दरख्वास्त स्वीकार करते हुए प्रकरण NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार कुछ लेख रिकार्ड दुरुस्त होने बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर बीकानेर	Not Press Anuj Dangi ANUJ DANGI CHIEF MANAGER PNB